

के.पी. मोहम्मद सलीम

बनाम

आयकर आयुक्त, कोचिन

(सिविल अपील संख्या 2946-2956 सन 2008)

24 अप्रैल, 2008

(एस.बी. सिन्हा व लोकेश्वर सिंह पांटा, जे.जे.)

आयकर अधिनियम, 1961 - धारा 127 - अन्तर्गत शक्ति-
अभिनिर्धारित - समूह निर्धारण के संदर्भ में प्रयुक्त की जा सकती है।
अधिनियमों का निर्वचन - उद्देश्यमूलक अर्थान्वयन- कराधान अधिनियम -
अभिनिर्धारित- इस प्रकार से अर्थान्वयन किया जाना चाहिए ताकि इसे
व्यवहारिक बना सके।

आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा निर्धारिती के, उसके पुत्र और
उसके सहयोगियों के आवास में, व्यापार परिसर में तलाशी ली गयी, जिसके
परिणामस्वरूप, निर्धारिती से संबंधित मामलों को आसान, प्रभावी और
समन्वित जांच के लिए आयकर (आईएनवी.) सर्किल कालीकट में अन्तरित
करने का प्रस्ताव किया गया। आयकर अधिनियम की धारा 127(2) के
तहत मुख्य आयकर आयुक्त, बेंगलोर द्वारा इस इस आशय का एक आदेश
जारी किया गया। निर्धारण अधिकारी द्वारा समूह अवधि के लिए अघोषित

आय सहित कुल आय बताते हुए विवरणी दाखिल करने के लिए अधिनियम की धारा 158-BC के तहत एक नोटिस जारी किया गया।

निर्धारिती ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद विवरणी दाखिल की गयी। निर्धारिती की कथित अघोषित आय का निर्धारण करते हुए निर्धारण आदेश पारित किया गया। निर्धारण अधिकारी कालीकट के उक्त आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गयी कि उनके पास समूह निर्धारण करने कोई क्षेत्राधिकार नहीं था क्योंकि प्राधिकार उस निर्धारण अधिकारी के पास था जिसका मूल रूप से करदाता पर क्षेत्राधिकार था। उच्च न्यायालय ने माना कि अधिनियम की धारा 127 के प्रावधान समूह निर्धारण के लिए भी लागू किये जा सकते हैं।

इस न्यायालय में अपील में निर्धारिती ने तर्क दिया है कि अधिनियम के अध्याय XIV-B में समूह निर्धारण की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए धारा 127 के प्रावधान प्रथम दृष्टया उस पर लागू नहीं हो सकते।

न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया-

1- आयकर अधिनियम 1961 की धारा 127 के तहत शक्ति का प्रयोग समूह निर्धारण के संबंध में किया जा सकता है। (पैरा12) (958-ई)

2.1 अधिनियम की धारा 158-बी के खण्ड (ए) के सन्दर्भ में, एक समूह अवधि में न केवल निर्धारण के दस वर्ष शामिल हैं बल्कि निर्धारण वर्ष का वह हिस्सा भी शामिल है जिसमें तलाशी की तारीख के अनुसार निर्धारण होना था। आय के आंकलन के उद्देश्य से अन्तरण का आदेश पारित किया जाता है जो एक बड़े उद्देश्य को पूरा करता है ऐसा आदेश लोकहित में पारित करना चाहिए। मात्र इसलिए कि धारा 127 में "किसी मामले" शब्द का उल्लेख किया गया है इसका आशय यह नहीं होगा कि एक से अधिक मुल्यांकन वाले मामलों के सम्बन्ध में अन्तरण आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। (पैरा 6,9)(953-डी;954-ए;955-एफ,जी)

2.2 यह तर्क देना उचित नहीं होगा कि, धारा 127 से जुड़े स्पष्टीकरण में दिया गया शब्द 'मामला' उक्त धारा के प्रयोजन से ही है, जैसा धारा 120 में भी है, समूह निर्धारण से संबंधित मामले के अन्तरण की शक्ति का स्रोत धारा 120 से संबंधित है। कानून के निर्वचन का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी प्रावधान का निर्वचन इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि वह व्यावहारिक बन सके। "किसी" शब्द को कानून के सन्दर्भ पढ़ा जाना चाहिए और उक्त उद्देश्य के लिए इस प्रकृति की स्थिति में इसका पूर्ण अर्थ हो सकता है। उक्त उद्देश्य के लिए उद्देश्यपूर्ण निर्वचन के सिद्धान्त को लागू किया जा सकता है। इस प्रकार कानून के सन्दर्भ में "किसी" शब्द को आकर अधिनियम के सन्दर्भ में पूर्ण रूप में पढ़ा जा

सकता है जिसके लिए अन्तरण की शक्ति धारा 127 के तहत विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों को प्रदत्त की गयी है। (पैरा9, 11) (956-ए,बी;958-सी,डी)

न्यू इंडिया इंश्योरेंस बनाम नुसली नेविल वाडिया(2007) 13 एस.सी.आर. 598- पर आधारित

2.3. अन्तरण की शक्ति ऐसा प्रभाव रखती है जो यांत्रिक प्रावधान को प्रदान की गयी है इसे इसका पूरा प्रभाव देना चाहिए। इसकी इस तरह से व्याख्या की जानी चाहिए ताकि इसे व्यावहारिक बनाया जा सके। अधिनियम की धारा 127 एक यांत्रिक प्रावधान है इसकी व्याख्या एक प्रस्तावित धारा को प्रभावशाली बनाने का होना चाहिए ताकि संबंधित प्राधिकारियों को उस तरीके से कार्य करने की अनुमति प्रदान करे जिसके लिए यह अधिनियम बनाया गया था।(पैरा10)(956-सी,डी)

3. धारा 127 और अध्याय XIV-बी एक-दूसरे के पूरक हैं और धारा 127 के प्रावधान उपधारा 158-बीडी और 158-बीडी के प्रक्रम के बीच के अन्तर को पूरा करते हैं। धारा 127(1) के प्रावधान उस समय लागू होते हैं जब न केवल अधिनस्थ स्तर के अधिकारियों के बीच अपितु समवर्ती क्षेत्राधिकार रखने वाले या क्षेत्राधिकार नहीं रखने वाले अधिकारियों के बीच अन्तरण विचारणीय हो। इसलिए जब भी अभिलेख ऐसे अधिकारी को प्रेषित किये जाते हैं जो पंक्ति में उच्च अधिकारी नहीं है बजाय उस अधिकारी के जिसे धारा 158-बीडी के तहत प्रथम बार कागजात सुपुर्द किये

गये थे, धारा 127 के प्रावधानों की पालना नोटिस देने के साथ की जानी चाहिए। धारा 158-बीएच के प्रावधान स्पष्ट रूप स्थापित करते हैं कि अधिनियम के अन्य सभी प्रावधान उक्त अध्याय के तहत किये गये निर्धारण पर लागू होते हैं। अधिनियम की धारा 127 जो अध्याय XIII के तहत आती है, आवश्यक संशोधनों के साथ अध्याय XIV-बी पर लागू होती है। विशेषतः जब आयकर प्राधिकारियों का क्षेत्राधिकार निर्धारण का आदेश पारित करने से संबंधित हो। (पैरा11) (957-बी-डी), एफ-एच; 958-ए,बी)

मुकुटला ललिता बनाम आयकर आयुक्त और अन्य (1997) आईटीआर 226-23- पुष्टि की गई।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2946-2956/2008

आईटीए संख्या 172/2000 में केरल उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम के निर्णय तथा आदेश दिनांक 02.04.2004 से।

टी.एल.वी. अय्यर, सुब्रमण्यम प्रसाद, जय किशोर सिंह, एम.एस. अनंत और विवेक गुप्ता, अपीलार्थी की ओर से।

गोपाल सुब्रमण्यन, अरिजित प्रसाद, एस. बालाजी और बी.वी. बलराम दास, प्रत्यर्थीगण की ओर से

मामले का निर्णय दिया गया - एस.बी. सिन्हा, न्यायाधीश द्वारा।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में, "अधिनियम") की धारा 127 का निर्वचन/लागू होना इसी प्रकार समूह निर्धारण से संबंधित प्रावधान इस अपील में प्रश्नगत है जो आईटीए संख्या 172/2000 आदेश दिनांक 02.04.2004 उच्च न्यायालय केरल एर्नाकुलम तथा डब्ल्यूपीसी संख्या 23449 सन् 2003 के आदेश व निर्णय के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई है।

आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा निर्धारिती के, उसके पुत्र और उसके सहयोगियों के आवास में, व्यापार परिसर में तलाशी ली गयी, जिसके परिणामस्वरूप, निर्धारिती से संबंधित मामलों को आसान, प्रभावी और समन्वित जांच के लिए आयकर (आईएनवी.) सर्किल कालीकट में अन्तरित करने का प्रस्ताव किया गया। आयकर अधिनियम की धारा 127(2) के तहत मुख्य आयकर आयुक्त, बेंगलोर द्वारा इस आशय का एक आदेश जारी किया गया। निर्धारण अधिकारी द्वारा समूह अवधि के लिए अघोषित आय सहित कुल आय बताते हुए विवरणी दाखिल करने के लिए अधिनियम की धारा 158-बीसी के तहत एक नोटिस जारी किया गया।

निर्धारिती ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में मुख्य आयकर आयुक्त द्वारा पारित उक्त मामले के अन्तरण आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की उस रिट याचिका को खारिज किया गया। उसके खिलाफ दाखिल की गई रिट अपील भी खारिज की गई।

इसके पश्चात निर्धारण प्राधिकारी द्वारा निर्धारिती को एक नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि निर्धारिती अघोषित आय को शामिल करते हुए समूह अवधि की कुल आय के सम्बन्ध में विवरणी दाखिल करे। जिसकी अनुपालना में रिटर्न दाखिल की गयी। निर्धारिती की कथित अघोषित आय निश्चित की गयी। निर्धारण अधिकारी कालीकट के इस आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गयी कि वह समूह निर्धारण करने का क्षेत्राधिकार नहीं रखता था क्योंकि प्राधिकार उस निर्धारण अधिकारी के पास था जिसका मूल रूप से निर्धारिती पर क्षेत्राधिकार था।

3. उच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ द्वारा आक्षेपित निर्णय में दिये गये कारणों के द्वारा राय व्यक्त की गयी है कि अधिनियम की धारा 127 के प्रावधान समूह निर्धारण के संबंध में लागू किये जा सकते हैं।

4. श्री टी.एल.वी. अय्यर, प्रार्थीगण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता यह प्रस्तुत करेंगे कि अधिनियम के अध्याय XIV-B में समूह निर्धारण की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए धारा 127 प्रथम दृष्टया इस पर लागू नहीं होती है।

5. राजस्व की ओर से उपस्थित श्री गोपाल सुब्रमणियम, विद्वान अतिरिक्त सोलीसीटर जनरल, फिर भी आक्षेपित निर्णय का समर्थन करेंगे।

6. आयकर विभाग के प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम की धारा 132 के तहत तलाशी करने की शक्ति के संबंध में कोई विवाद नहीं है। यह भी विवाद नहीं है कि इस प्रकार के मामलों में अध्याय XIV-बी लागू होगा। धारा 158-बी का खण्ड (a) 'समूह अवधि' को परिभाषित करता है, जो निम्न प्रकार है-

(a) "समूह अवधि" से उस पूर्ववर्ष के पूर्ववर्ती छह निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों की वह अवधि अभिप्रेत है जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी ली गई थी, या धारा 132 ए के अधीन कोई अध्यपेक्षा की गई थी, और इसके अंतर्गत पूर्ववर्ष में ऐसी तलाशी के प्रारंभ की तारीख या ऐसी अध्यपेक्षा की तारीख तक की अवधि भी शामिल है जिसमें उक्त तलाशी ली गई थी या अध्यपेक्षा की गई थी।

परन्तु जहां 1 जून, 2001 से पूर्व तलाशी आरंभ की जाए या अध्यपेक्षा की जाए, वहां इस खंड के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो "छः निर्धारण वर्ष" शब्दों के स्थान पर "दस निर्धारण वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किये गये हों।

इसलिए, एक समूह अवधि में न केवल निर्धारण वाले दस साल शामिल होंगे अपितु निर्धारण वर्ष का वह भाग भी जिसमें तलाशी की दिनांक पर निर्धारण होना था, भी शामिल होगा।

7. अध्याय XIV-बी में विशेष प्रक्रिया का प्रावधान है। धारा 158-बीसी समूह निर्धारण के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है। धारा 158-बीडी किसी अन्य व्यक्ति की अघोषित आय को ध्यान में रखने का प्रावधान करता है। धारा 158-बीई निर्धारण पूरा करने के लिए समय सीमा का प्रावधान करता है। इस अधिनियम की धारा 158 बीएच इस प्रकार है:

“158-बीएच - इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों का लागू होना- इस अध्याय में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के अन्य सभी उपबंध इस अध्याय के अधीन किए गए निर्धारण के बारे में लागू होंगे”

अध्याय XIV-बी सिर्फ निर्धारण के लिए विशेष प्रक्रिया निर्धारित करता है लेकिन इस प्रकार वह प्रभाव और उद्देश्य जिसके लिए आयकर का निर्धारण किया जाता है, समाप्त नहीं होता है।

8. एक अन्तरण का आदेश, जैसा कि यहाँ पहले अवलोकन किया गया है, उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम की धारा 127 के तहत पारित किया जा सकता है, जो निम्नानुसार है:

“127. मामले अंतरित करने की शक्ति-

(1) महानिदेशक या प्रधान मुख्य आयुक्त या आयुक्त, निर्धारिती को मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् जहां कहीं ऐसा करना संभव हो, और ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् किसी मामले को अपने अधीनस्थ एक या अधिक निर्धारण अधिकारियों से (चाहे उन्हें समवर्ती अधिकारिता हो या नहीं) अपने ही अधीनस्थ किसी अन्य निर्धारण अधिकारी या निर्धारण अधिकारियों को (चाहे उन्हें समवर्ती अधिकारिता हो या नहीं) अंतरित कर सकेगा।

(2) जहां वह निर्धारण अधिकारी या वे निर्धारण अधिकारी जिनसे मामला अंतरित किया जाना है और वह निर्धारण अधिकारी या वे निर्धारण अधिकारी, जिन्हें मामला अंतरित किया जाना है, एक ही महानिदेशक या प्रधान मुख्य आयुक्त या आयुक्त के अधीन नहीं है, और,

(ए) जहां ऐसे महानिदेशक या प्रधान मुख्य आयुक्त या आयुक्त, जिनके अधीन ऐसे निर्धारण अधिकारी हैं, सहमत हैं, वहां ऐसा महानिदेशक या प्रधान मुख्य आयुक्त या आयुक्त, जिसकी अधिकारिता से मामला अंतरित किया जाना है, निर्धारिती को मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के

पश्चात्, जहां कहीं ऐसा करना संभव हो और ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् आदेश पारित कर सकेगा।

(बी) जहां पूर्वोक्त महानिदेशक या प्रधान मुख्य आयुक्त या आयुक्त सहमत नहीं है, वहां मामला अंतरित करने वाला आदेश, इसी प्रकार बोर्ड द्वारा या ऐसे किसी महानिदेशक या प्रधान मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा पारित किया जा सकेगा जिसे बोर्ड, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत करे।

XXX

XXX

XXX

स्पष्टीकरण धारा 120 में और इस धारा में किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में जिसका नाम तद्विन जारी किए गए किसी आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट है, "मामला" शब्द से किसी वर्ष की बाबत इस अधिनियम के अधीन ऐसी सभी कार्यवाहियां अभिप्रेत हैं, जो ऐसे आदेश या निर्देश की तारीख को लम्बित हैं अथवा ऐसी तारीख को या उसके पूर्व पूरी हो गई हैं, और उनके अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन ऐसी सभी कार्यवाहियां भी हैं जो किसी वर्ष की बाबत ऐसे आदेश या निर्देश की तारीख के पश्चात् प्रारंभ की जाएं।"

9. अन्तरण का आदेश आय का निर्धारण करने के उद्देश्य के लिए पारित किया जाता है। यह एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति करता है। ऐसा आदेश जनहित में पारित किया जाना चाहिए ।

केवल इसलिए कि उक्त प्रावधान में "किसी मामला" शब्द का उल्लेख किया गया है, वहां, हमारी राय में, इसका मतलब यह नहीं होगा की उन मामलों के संबंध में अन्तरण का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है जिनमें एक से अधिक निर्धारण वर्ष है।

यह तर्क देना उचित नहीं होगा कि धारा 127 से जुड़े स्पष्टीकरण में दिया गया शब्द 'मामला' उक्त धारा के प्रयोजन से ही है, जैसा धारा 120 में भी है, समूह निर्धारण से संबंधित मामले के अन्तरण की शक्ति का स्रोत मात्र धारा 120 से संबंधित है। यह कानून के निर्वचन का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी प्रावधान का निर्वचन इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि वह व्यावहारिक बन सके। जब आयकर अधिनियम मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, अध्याय XIV-बी उसमें नहीं था। इसे विधि की पुस्तक में वर्ष 1996 में लाया गया था।

10. अन्तरण की शक्ति ऐसा प्रभाव रखती है जो एक यांत्रिक प्रावधान को प्रदान की गयी है। इसे इसका पूरा प्रभाव देना चाहिए। इसकी व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए कि यह व्यवहारिक बन सके। यहां तक कि अधिनियम की धारा 127 भी एक यांत्रिक प्रावधान है। इसे एक प्रस्तावित

प्रावधान को प्रभावी करने के लिए समझा जाना चाहिए ताकि संबंधित प्राधिकारियों को उस तरीके से ऐसा करने की अनुमति मिल सके जिसके लिए कानून अधिनियमित किया गया था।

यह प्रश्न मुकुटला ललिता बनाम आयकर आयुक्त एवं अन्य (1997) आईटीआर 226 23 के मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष विचार के लिए आया। जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था।

इसलिए यह कल्पना की जा सकती है कि एक आदेश पारित किया जाना चाहिए कि धारा 158-बीजी के तहत तलाशी के मामले में निर्धारण अधिकारी कौन होगा। ऐसा आदेश केवल एक उच्च अधिकारी द्वारा पारित किया जा सकता है जो या तो आयुक्त या मुख्य आयुक्त, जैसा भी मामला हो, हो सकता है। इसलिए, जब तक ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है, तब तक निर्धारण अधिकारी, जिसे धारा 158-बीडी के तहत रिकॉर्ड सौंपे गए हैं, वास्तव में सहायक आयुक्त को रिकॉर्ड नहीं सौंप सकता है, जब तक कि उसे धारा 158-बीजी के तहत निर्धारण अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नहीं चुना जाता है। ऐसा करने के लिए, धारा 158-बीजी के तहत चयनित अधिकारी को रिकॉर्ड अन्तरित करने के लिए रिकॉर्ड के अन्तरण और उस आशय के आदेश पारित करने की एक प्रक्रिया आवश्यक है। इसी संदर्भ में धारा 127 के प्रावधान का सहारा लेना होगा। इसी कारण से, हम विद्वान स्टैंडिंग अधिवक्ता से सहमत होने में असमर्थ हैं कि अध्याय

XIV-बी तलाशी प्रक्रियाओं और निर्धारण से संबंधित एक स्व-निहित विशेष प्रावधान है, जिस पर धारा 127 लागू नहीं होती। यदि धारा 127 और अध्याय XIV-बी एक-दूसरे के साथ असंगत होते तो प्रस्तुतिकरण सही होता और यह तय करना होगा कि इस कारण से अध्याय XIV-बी जैसा एक विशिष्ट प्रावधान धारा 127 जैसे सामान्य प्रावधान को विस्थापित कर देगा। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं, दोनों प्रावधान एक-दूसरे के पूरक हैं और धारा 127 के प्रावधान धारा 158-बीडी और 158-बीजी के प्रक्रम के बीच के अंतर को पूरा हैं। इसलिए धारा 127 के तहत पारित आक्षेपित आदेश को यह कहकर गलत नहीं ठहराया जा सकता कि धारा लागू नहीं होती। यह भी सही नहीं है, जैसा कि तर्क दिया गया है, कि अध्याय XIV-बी के तहत कार्यवाही की स्थिति में धारा 127 के तहत नोटिस देना बिना किसी तथ्य के महज एक औपचारिकता होगी क्योंकि धारा 158-बीजी के तहत रिकॉर्ड अनिवार्य रूप से अधिकारी को सौंपना होगा। हालाँकि अधिकांश मामलों में प्रस्तुतिकरण सही हो सकता है, फिर भी यह कल्पना की जा सकती है कि कुछ मामलों में, उचित अवसर दिया जा रहा है जैसा कि अधिनियम की धारा 127(1) या (2) के तहत विचार किया गया है, संबंधित व्यक्ति नोटिस देने वाले प्राधिकारी को यह समझाने में सक्षम हो सकता है कि वह वास्तव में अध्याय XIV-बी के तहत शुरू की गई कार्यवाही से असंबंधित या असंबद्ध है। यदि इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, तो उस स्तर पर प्राधिकारी संबंधित व्यक्ति को अध्याय XIV-बी में विशिष्ट कार्यवाही से अलग

कर सकता है और कागजात को अन्य अधिकारी को अन्तरित नहीं कर सकता है। जैसा कि स्वयं विद्वान स्टैंडिंग अधिवक्ता ने स्पष्ट रूप से इंगित किया है, धारा 127(1) का प्रावधान तब लागू होता है जब अन्तरण न केवल अधीनस्थ पंक्ति के अधिकारियों के बीच, बल्कि समवर्ती क्षेत्राधिकार वाले या बिना समवर्ती क्षेत्राधिकार वाले अधिकारियों के बीच विचारणीय है। इसलिए, जब धारा 158-बीडी के तहत पहली बार में कागजात सौंपे गए अधिकारी से उच्च पंक्ति के अधिकारी को रिकॉर्ड प्रेषित किया जाना है, तो भी नोटिस देने के लिए धारा 127 के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना चाहिए।

11. हम खंड पीठ की राय से सहमत हैं, लेकिन हम यह भी देख सकते हैं कि धारा 158-बीएच के प्रावधानों को उनके ध्यान में नहीं लाया गया था, जो स्पष्ट रूप से उपबंधित करते हैं कि अधिनियम के अन्य सभी प्रावधान उक्त अध्याय के तहत किए गए निर्धारण पर लागू होंगे। अधिनियम की धारा 127, जो अध्याय XIII के अंतर्गत आती है, इसलिए यथोचित परिवर्तनों के साथ अध्याय XIV-बी पर लागू होगी, विशेष रूप से जब आयकर अधिकारियों का अधिकार क्षेत्र, अन्य बातों के अलावा, निर्धारण के आदेश पारित करने से संबंधित है।

"किसी" शब्द को कानून के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए और उक्त उद्देश्य के लिए, इस प्रकृति की स्थिति में इसका अर्थ पूर्ण हो सकता है।

उक्त उद्देश्य के लिए उद्देश्यपूर्ण अर्थान्वयन के सिद्धांतों का सहारा लिया जा सकता है [न्यू इंडिया इंश्योरेंस बनाम नुसली नेविल वाडिया (2007) 13 एससीआर 598] इस प्रकार, किसी कानून के संदर्भ की तरह, आयकर अधिनियम के संदर्भ में "किसी" शब्द को पूर्ण रूप में पढ़ा जा सकता है, जिसके लिए अंतरण की शक्ति धारा 127 के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारियों को प्रदान की गई है ।

12. हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचने में कोई संकोच नहीं है कि धारा 127 के तहत शक्ति का प्रयोग भी एक समूह निर्धारण में किया जा सकता है। उपरोक्त कारणों से, हम इन अपीलों में कोई गुणावगुण नहीं पाते हैं। याचिकाएं सव्यय खारिज की जाती हैं। अधिवक्ता की फीस रु 25,000/- [पच्चीस हजार रुपये मात्र] तय की जाती है।

याचिका खारिज की जाती है।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी विनोद कुमार गुप्ता-॥ (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।